न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री एल0एन0 सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 38 / 2018 / अपील / आर्म्स / झालावाड
दायरा दिनांक 5.10.2018
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

राजेश गुप्ता आत्मज रामरतन गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम करावन तहसील पचपहाड जिला झालावाड।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 झालावाड (राज0)।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रोहित सिंह राजावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 18.11.2019

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक / लाईसेन्स / रिनीवल / न्याय / 2018 / 167 दिनांक 8.1.2018 (आदेश मे क्रम सं0 3 पर दर्ज) (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1719 को आगामी अवधि 1.1.2017 से 31.12.2019 तक के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर चरित्र एवं आपराधिक प्रकरणो के संबध मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्र क्रमांक 8983 दिनांक 30.6.2017 से अनुज्ञापत्रधारियों के विरूद्ध संबधित थाने मे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय मे विचाराधीन होने से नवीनीकरण किये जाने मे असहमति रिपोर्ट प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे आलौच्य आदेश (क्रम सं0 3 पर दर्ज) से अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाकर शस्त्र थाने मे जमा कराने का पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के आधार पर अपीलांट का लाईसेन्स निरस्त किया है जबकि अपीलार्थी के आवेदन पत्र को जिला कलक्टर द्वारा अनुचित एंव मनमाने रूप से बिना किसी यथोचित

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कारण के एक वर्ष से भी अधिक समय तक लम्बित रखा गया। मुक0 सं0 44/15 धारा 143, 186, 283, 120 बी आईपीसी सरकार बनाम रामगोपाल वगेरा किसी भी आपराधिक प्रकरण से संबधित नही है बल्कि जन आंदोलन के तहत पुतला दहन किये जाने मात्र के आधार पर पुलिस द्वारा रास्ता जाम करने का राजनैतिक द्वेषतावश दर्ज किया गया था जिसमे कोई गम्भीर आपराधिक कृत्य का आरोप नही है। ना ही अपीलांट को दोष सिद्ध किया गया है। शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भी इस प्रकार का मुक0 एक पिटी ओफेन्स की श्रेणी मे आता है शस्त्र नवीनीकरण के लिये किसी भी रूप मे बाधा उत्पन्न नही करता है। नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी बगारिया द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण नही करने बावत किसी रूप मे कोई नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है। बिना किसी युक्तियुक्त कारण एंव आधार के अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकृत नही करने मे विधि एवं तथ्यों की गम्भीर त्रुटि की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मे भी मात्र मुकदमा दर्ज होना अंकित किया गया है अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा भी थानाधिकारी की जांच रिपोर्ट का सरसरी तौर पर पर अवलोकन कर नाकारात्मक रिपोर्ट पेश की है जिसे किसी प्रकार से विधिसम्मत नही माना जा सकता। जिला मजि0 झालावाड द्वारा पुलिस अधीक्षक की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट मात्र के आधार पर गुणावगुण पर स्वयं कोई विचार किये बिना अपीलार्थी के लाईसेन्स को नवीनीकरण नही कर निरस्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की जाने से पारित आदेश दिनांक 8.1.2018 निरस्तनीय है। अतः जिला मजि0 झालावाड का जेरअपील आदेश निरस्त करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने करने एवं नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई। xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये प्रकट किया कि मुक0 सं0 44/15 धारा 143, 186, 283, 120 बी आईपीसी सरकार बनाम रामगोपाल वगेरा किसी भी आपराधिक प्रकरण से संबधित नही है बल्कि जन आंदोलन के तहत पुतला दहन किये जाने मात्र के आधार पर पुलिस द्वारा रास्ता जाम करने का राजनैतिक द्वेषतावश दर्ज किया गया था जिसमे कोई गम्भीर आपराधिक कृत्य का आरोप नही है। ना ही अपीलांट को दोष सिद्ध किया गया है। शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भी इस प्रकार का मुक0 एक पिटी ओफेन्स की श्रेणी मे आता है शस्त्र नवीनीकरण के लिये किसी भी रूप मे बाधा उत्पन्न नही करता है। बहस मे आगे बताया कि जिला मजि0 झालावाड द्वारा एक ही आदेश से 6 अनुज्ञापत्रधारियेा के शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किये है जबकि सभी प्रकरणो के तथ्य भिन्न–भिन्न प्रकृति के होते है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को पृथक 2 आदेश पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश (क्रम– सं0 3 के संदर्भ मे) विधिसम्मत नही है तथा स्पीकिंग आदेश की श्रेणी मे नही आने से काबिल निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर आदेश अपास्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवी0 के आदेश प्रदान किये जावे। xx

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 विद्वान राजस्कीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट कमांक 8983 दिनांक 30.6.2017 अनुसार आपराधिक मुक0 सं0 44/15 धारा 143, 186, 283, 120 बी आईपीसी का न्यायालय मे विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के मध्यनजर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किया जाना उचित नही होने से जिला मजि0 झालावाड द्वारा जेरअपील आदेश से शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ न्याया0 का आदेश न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। आलौच्य आदेश (कम सं0 3 के संबध मे) पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट कमांक 8983 दिनांक 30.6.2017 अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मुक0 सं0 44/15 धारा 143, 186, 283, 120 बी आईपीसी का दर्ज होने/न्यायालय मे विचाराधीन होने से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण नही कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भी इस प्रकार का मुक0 एक पिटी ओफेन्स की श्रेणी मे आता है शस्त्र नवीनीकरण के लिये किसी भी रूप मे बाधा उत्पन्न नही करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बिना एक ही आदेश से अपीलांट सहित 6 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र को अनुज्ञापत्र को निरस्त कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलार्थी के कथन के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील आदेश का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार उक्त विवेचित प्रकरण सं0 44/15 न्यायालय मे विचाराधीन होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्टेटस ऑफ केस सं0 44/15 की समुचित जानकारी किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही एक ही आलौच्य आदेश कमांक/लाईसेन्स/रिनीवल/न्याय/2018/167 दिनांक 8.1.2018 से अपीलार्थी (आदेश मे कम सं0 3 पर दर्ज) का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय उक्त आदेश कम सं0 3 के संबध मे स्पीकिंग आदेश की श्रेणी मे नही आता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश कमांक/लाईसेन्स/रिनीवल/न्याय/2018/167 दिनांक 8.1.2018 कम–सं0 3 की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को स्टेटस ऑफ केस सं0 44/15 की समुचित जानकारी प्राप्त कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0 एन0 सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा